भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2162
जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सहायता

2162 श्री तेजस्वी सूर्या :

श्री आशीष दुबे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सहायता और विशेष कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था है ;

(ख) राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में मानमिक बीमारी तथा बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए स्थापित विधिक सेवा इकाइयों का दायरा और कार्यप्रणाली क्या है ;

(ग) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत न्यायिक अवसंरचना के लिए निर्धारित अभिगम्यता संबंधी आवश्यकताएँ क्या हैं ; और

(घ) डिजिटल न्यायालय प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए और सुलभ बनाने के लिए ई-कोर्ट परियोजना चरण-तीन के अंतर्गत अपनाए गए उपाय क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों सहित सामान्य आदमी, को किफायती, गुणवत्तापूर्ण और त्वरित विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 दिव्यांग व्यक्तियों सहित समाज के दुर्बल वर्गों के लिए मुफ्त और सक्षम विधिक सेवा का उपबंध करता है।

नालसा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नालसा (मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) स्कीम, 2024 नामक एक विनिर्दिष्ट स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है । इस स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधिक सेवाएं मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट विधिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल हों। इस स्कीम के अधीन, लद्दाख तथा दादरा और नागर हवेली के सिवाय सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 'मनोन्याय' (एलएसयूएम)' इकाई नामक 'मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट विधिक सेवा इकाई' स्थापित की गई हैं।

(ग) : सरकार न्यायालयों के हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाईयों, वकीलों के हॉल, वकीलों और वादकारियों की सुविधा के लिए शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के सन्निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाकर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रस्तावित अवसंरचना का डिजाइन दिव्यांग-अनुकूल हो। भवन का डिजाइन समय-समय पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यथा अधिकथित अपेक्षित मानदंडों/अभिगम्यता संबंधी मानकों के अनुरूप है।

(घ) : ई-न्यायालय परियोजना चरण-3 के अधीन 24 ऐसे घटक हैं जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों सहित नागरिकों के लिए एक मजबूत और सुलभ डिजिटल अवसंरचना के सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को उन्नत सुलभ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थित प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, (उच्च न्यायालयों सहित) 752 न्यायालयों की वेबसाइटों को एस3 डब्ल्यूएएएस प्लेटफॉर्म (सेवा के रूप में सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट) पर स्थानांतरित करने का उपबंध किया गया है, जिससे वेबसाइट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल हो जाती है। एस3 डब्ल्यूएएएस प्लेटफॉर्म में आंशिक और पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए सामग्री की आसान दृश्यता की विशेषतांए है।

****